



2026:AHC:313

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

जनहित याचिका (पीआईएल) संख्या - 2908, वर्ष 2025

छैल बिहारी @ छैलू
बनाम

.....याचिकाकर्ता(गण)

उत्तर प्रदेश राज्य और 6 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता : कन्हैया लाल तिवारी
प्रतिवादी (यों) के अधिवक्ता : सी.एस.सी., पंकज कुमार गुप्ता, सूर्य प्रकाश दुबे,
विनय कुमार पाठक

न्यायालय संख्या.- 55

माननीय न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री कन्हैया लाल तिवारी, निजी प्रतिवादी संख्या 6 के विद्वान अधिवक्ता श्री सूर्य प्रकाश दुबे और निजी प्रतिवादी संख्या 7 के विद्वान अधिवक्ता श्री विनय कुमार पाठक को सुना गया।

2. यह जनहित याचिका निम्नलिखित राहतों के लिए दायर की गई है:-

I. एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जो परमादेश की प्रकृति का हो, और जिसमें प्रतिवादी संख्या 2 से 5 को यह आदेश और निर्देश दिया जाए कि वे प्रतिवादी संख्या 6 से 10 द्वारा अराज़ी संख्या 2682/5 क्षेत्रफल 0.1640 हेक्टेयर, जो 'बंजर' के रूप में दर्ज है और ग्राम-गणेशपुर (भर टोला), टप्पा-गणेशपुर, परगना-नगर पूरब, तहसील-बस्ती सदर, जिला-बस्ती में स्थित है, पर किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाएँ।

II. कोई अन्य रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसे यह माननीय न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित और सही समझे।

III. याचिकाकर्ता को याचिका का खर्च दिलाया जाए।

3. इस न्यायालय ने दिनांक 26.09.2025 को निम्नलिखित आदेश पारित किया:-

"विद्वान स्थायी अधिवक्ता इस मामले में निम्नलिखित पहलुओं पर निर्देश प्राप्त करें:

I. क्या सार्वजनिक भूमि पर प्रथम दृष्ट्या अतिक्रमण है?

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



II. क्या यू.पी. राजस्व संहिता के उपयुक्त प्रावधानों के अंतर्गत, ऐसे अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रारंभ की गई है?

III. क्या अतिक्रमणकारियों को उपर्युक्त कार्यवाहियों में नोटिस दिया गया है?

IV. कार्यवाही की स्थिति दर्शाने वाली आदेश-पत्र की प्रति।

प्रतिवादी संख्या 6 और 7 को आरपीएडी के साथ-साथ नियमित प्रक्रिया द्वारा भी नोटिस जारी किया जाए, जिसका जवाब चार सप्ताह की अवधि के भीतर दिया जाना है। इस संबंध में आवश्यक कदम दो सप्ताह की अवधि के भीतर उठाए जाएं।

इस मामले को **08.12.2025** को नए मामलों की सूची में रखा जाए।"

4. निजी प्रतिवादी संख्या 6 और 7 के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि भूखंड संख्या 2682/5 से उनका कोई सरोकार नहीं है, किंतु याचिकाकर्ता द्वारा उन्हें प्रस्तुत जनहित याचिका में पक्षकार बनाया गया है।

5. राज्य की ओर से विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता, श्री अंजनी कुमार चौरसिया ने, उप-विभागीय अधिकारी, बस्ती, सदर द्वारा दिनांक 22.11.2025 को भेजे गए निर्देशों के आधार पर यह प्रस्तुत किया कि यू.पी. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 30(2) के तहत एक कार्यवाही—वाद संख्या 1167/2025, कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या D202517140001167 (हरिलाल यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य)—जिला मजिस्ट्रेट, बस्ती के समक्ष लंबित है। उन्होंने आगे यह भी प्रस्तुत किया कि भूखंड संख्या 2682/5 एक 'मंजुला' संख्या है, जिसे 9 भागों में विभाजित किया गया है। उन्होंने भूखंड संख्या 2682/5 के सभी नौ उप-विभाजनों की प्रविष्टियों को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से, उक्त निर्देशों के पैराग्राफ संख्या 1 को भी प्रस्तुत किया। इसके पश्चात् उन्होंने यह तर्क दिया कि जब तक यू.पी. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 30(2) के तहत चल रही कार्यवाही का निस्तारण कानून के अनुसार नहीं हो जाता, तब तक संबंधित अधिकारियों द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती।"

6. मैंने इस जनहित याचिका में किए गए कथनों के साथ-साथ दिनांक 22.11.2025 के निर्देश पर भी विचार किया है।

7. इस मामले में निहित विवाद को समझने के लिए, दिनांक 22.11.2025 के निर्देश के पैरा संख्या 1, 2 और 3 का अवलोकन प्रासंगिक होगा, जो इस प्रकार हैं:-

"1. यह कि याची द्वारा याचिका में संदर्भित प्रश्नगत गाटा संख्या-2682/5

क्षेत्रफल **0.1640** हे० स्थित ग्राम गनेशपुर, तप्पा गनेशपुर, परगना नगर पूरब, तहसील व जिला बस्ती जो गाटा संख्या **2682** का विभक्त भाग है, के सम्बन्ध में उल्लेख करना है कि गाटा संख्या **2682** मिनजुमला नम्बर है जो कुल **09**



खण्डों में विभक्त है तथा राजकीय अभिलेख खतौनी में गिन्न-भिन्न खातों व श्रेणियों में अंकित है जिसका पृथक-पृथक विवरण निम्नवत है-

(1) गाटा संख्या **2682/1** क्षेत्रफल **0.4430** श्रेणी **1** क सक्रमणीय भूमिधर की भूमि है जो रामबन्दर पुत्र वलिभदर आदि के नाम से अंकित है।

(2) गाटा संख्या **2682/2** क्षेत्रफल **0.1900** श्रेणी **1** क सक्रमणीय भूमिधर की भूमि है जो वलराम पुत्र हरिप्रसाद आदि के नाम से अंकित है।

(3) गाटा संख्या **2682/3** क्षेत्रफल **0.1900** हे० श्रेणी **1** क सक्रमणीय भूमिधर की भूमि है जो शिवदत्त पुत्र झकडी के नाम से अंकित है।

(4) गाटा संख्या **2682/4** क्षेत्रफल **0.1260** हे० श्रेणी **1** क सक्रमणीय भूमिधर की भूमि है जो रामकिशुन पुत्र अयोध्या के नाम से अंकित है।

(5) गाटा संख्या **2682/4/1** क्षेत्रफल **0.0710** हे० श्रेणी **1** क सक्रमणीय भूमिधर की भूमि है जो हरीराम पुत्र जगदेव के नाम से अंकित है।

(6) गाटा संख्या **2682/4स** क्षेत्रफल **0.5060** हे० श्रेणी **1** क सक्रमणीय भूमिधर की भूमि है जो हरीराम पुत्र शिवपाल के नाम से अंकित है।

(7) गाटा संख्या **2882/4** स क्षेत्रफल **0.1260** हे० श्रेणी **2** असक्रमणीय भूमिधर की भूमि है जो श्रीमती सुभावती पत्नी छोटेलाल के नाम से अंकित है।

(8) गाटा संख्या **2682/5** क्षेत्रफल **0.1640** हे० श्रेणी **5-3-ड** अन्य कृषि योग्य बंजर की भूमि है जिस पर किये गये अवैध अध्यासन को हटाए जाने के सम्बन्ध में प्रश्नगत पी०आई०एल० मा० न्यायालय में विधाराधीन है।

(9) गाटा संख्या **2682स** क्षेत्रफल **0.1320** हे० श्रेणी **6-2** अन्य अकृषिक भूमि के अन्तर्गत रास्ते के खाते में अंकित है।

2. यह कि ग्राम गनेशपुर के भूचित्र में उपरोक्त गाटा संख्या **2682** के विभक्त गाटे पृथक-पृथक आरेखित न होकर एक ही गाटा संख्या **2682** के रूप में आरेखित है।

3. यह कि धारा **30 (2)** उ०प्र०रा० संहिता **2006** में प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत गाटा संख्या **2682** के भौतिक विभाजन हेतु जिलाधिकारी बस्ती के न्यायालय में वाद संख्या **1167/2025** कम्प्यूटरीकृत वाद



संख्या-D202517140001167 हरिलाल यादव बनाम सरकार उत्तर प्रदेश आदि
विचाराधीन है। "

8. भूखंड संख्या 2682 के संबंध में, यू.पी. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 30(2) के तहत चल रही कार्यवाही के लंबित होने के संबंध में निर्देशों में उल्लिखित तथ्यों को देखते हुए, इस जनहित याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता है।
9. इस मामले में किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।
10. अतः, प्रस्तुत जनहित याचिका खारिज की जाती है।

5 जनवरी 2026

नीत

(न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"